प्रगति प्रतिवेदन

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(महिला विकास निगम)

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः

राज्य में महिलाओं के माध्यम से समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्प्रेरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का संचालन वर्ष 2008 से किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में महिला विकास निगम इस योजना को राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित किया जा रहा है। महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के उद्देश्य यह योजना मुख्ययतः तीन मुद्दों को संबोधित करती है– आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक।

आर्थिक सशक्तीकरण

- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में उनकी संस्थाओं, इसके संघों और उनकी आजीविकाओं को सहयोग देने तथा पोषण के लिए राज्य में 27 जिलों के 176 प्रखण्डों, 1519 पंचायतों और 4819 गांवो में 16,367 महिला स्वयं सहायता समूहों का संपोषण एवं क्षमता विकास किया जा रहा है। समूह से 2,09,314 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदाय की महिलाऐं जुड़ी है।
- इन समूहों की सदस्यों ने छोटी–छोटी बचतों से अब तक 15.19 करोड़ से अधिक रूपये जमा करने में सफलता प्राप्त की है।
- प्रारंभिक पूँजी कोष स्वयं सहायता समूह और उनके प्रखण्ड स्तरीय महासंघों तक सीधे वित्तिय और तकनीकी संसाधन पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आधार सहभागिता पूर्ण सूक्ष्म नियोजन के अनुसार सदस्यों की मांग है। अब तक 61 महिला स्वयं सहायता समूहों के महासंघ की सहकारी समितियों को प्रारंभिक पूँजीगत् कोष के तहत् आजीविका निर्माण हेतु कुल 5,35,79,800 रूपये निर्गत किए गए। जिसका 791 स्वयं सहायता समूह आरंभिक पूँजी अथवा खाद्य सुरक्षा, आजीविका और कौशल विकास में निवेश/काम के लिए उपकरण लेने/रोजगार के अवसर पैदा करने तथा समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं से संबंधित जागरुकता के लिए निधि के रुप में उपयोग कर रहे हैं।
- विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सीखना, सामुदायिक संचरण/जागरण और स्थायित्व का श्रेष्ठ साधन मानते हुए वर्ष 2009–10 में 2032 परियोजना कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों की नेत्रियों, सहकारी समितियों के अध्यक्षों व मुख्य कार्यपालकों सहित निगम के विभिन्न प्रयासों से जुड़े व्यक्तियों का सघन क्षमता विकास करने का प्रयास किया।
- विकास कार्यकर्ता रणनीति के तहत् गांव के स्तर पर 42540 विकास स्वयंसेवियों का विकास किया गया है। इनमें से 1471 सामुदायिक साधनसेवी, 1000 कलस्टर समन्वयक, 523 सामुदायिक लेखासंधारकों और 39546 स्वयं सहायता समूह की नेत्रियों को तैयार किया गया है, जो समुदाय के बीच विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं, स्वयं सहायता समूहों के संचालन–प्रबंधन और आजीविका निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
- सेवा प्रक्षेत्र कार्यक्रम के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित एवं पिछड़े समुदाय की किशोरियों और महिलाओं के लिए कम्प्यूटर, ब्यूटिशियन, सेल्स मैनेजमेंट में प्रशिक्षण व दक्षता विकास हेतु राज्य के 5 जिलों यथा दरभंगा, गया, नालन्दा, वैशाली और मुज्जफरपुर से प्रथम चरण में 310 लाभार्थियो को प्रशिक्षण दिया

गया है। द्वितीय चरण में राज्य के सभी प्रमण्डलों में कम्प्यूटर में 1020, हाउस कीपिंग में 510, ब्यूटीशियन में 240, सेल्स एवं मार्केटिग प्रबंधन में 90 तथा घरेलु सेविका में 76 महिलाओं व किशोरियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद 80 प्रतिशत किशोरी व महिलायें रोजगार, उद्यम तथा स्वरोजगार से जुड़ रही हैं।

- स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों ने 2654 किसान परिवारों को श्री विधि तकनीक के ज्ञान से जोड़कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में धान की खेती प्रारम्भ की हैं और 82471 रुपये अर्जित किये हैं। साथ ही शुद्ध आलू बीज की तकनीक से 72 किसानों को जोड़कर 14729 रूपये की आय प्राप्त किया है। कृत्रिम पशु गर्भाधान से 534 एवं समुदाय आधारित खुदरा उद्यम से 354 लोगों को जोड़ा गया है।
- खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सामुदायिक खुदरा उद्यम की शुरूआत की गयी है। इसके तहत् स्वयं सहायता समूह की सदस्य सामूहिक रूप आवश्यक खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर न्यूनतम लाभ दरों पर आवयकता अनुरूप आवंटित करती हैं। 534 स्वयं सहायता समूह के सदस्य इस उद्यम से जुड़कर न सिर्फ आय अर्जन कर रहे हैं बल्कि स्थानीय स्तर खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हुए हैं।
- स्वयं सहायता समूहों के 15 प्रखण्ड स्तरीय महासंघों के 814 बीघा जमीन लीज पर लेकर सामुदायिक खेती प्रारम्भ की है।
- राज्य में महिलाओं द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को पटना एवं उसके आस–पास के कुछ बड़े शहरों में पहुँचाना तथा एक संगठित बाजार में उचित दर उपलब्ध कराना एवं गाँव की हरी सब्जियॉ को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सब्जी उत्पादन और विपणन की गतिविधि में सक्रिय महिलाओं को संगठित किया गया है। साथ 15 अभिनव वातानुकूलित 'समृद्धि रिक्शा' द्वारा सब्जी बेचने की व्यवस्था हुई है।
- नालन्दा जिला के बिहारशरीफ प्रखण्ड में हस्तशिल्प के व्यवसाय को पुर्नजीवित कर स्थानीय बुनकर समुदाय को सुदीर्घ आजीविका की ओर प्ररित किया गया है। साथ राज्य विलुप्त हस्तशिल्प कला 'बावनबूटी' को पुर्नजीवित कर राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्थापित किया जा रहा है। निगम की स्वयं सहायता समूह प्रक्रिया से गठित बुनकर समुदाय की सहकारी समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यादेश प्राप्त कर अस्पतालों में सतरंगी चादर और आशा साड़ी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के कार्यादेश पर धोती–साड़ी एवं चादर की भी आपूर्ति की जा रही है एवं विपणन को और सुदृढ़ करने के प्रयास में फैब इंडिया ओवरसीज के द्वारा पहली बार बिहार अवस्थित महिला बुनकरों को 7500 सूती वस्त्र निर्माण का कार्यादेश प्राप्त हुआ है। इसी तरह के प्रयास को बांका के डहुआ पंचायत के अंसारी समुदाय के बुनकर परिवारों को जोड़ा गया है। साथ ही गया जिला के नगर प्रखण्ड में चाकंद पंचायत में प्रयास हुए हैं।
- वैशाली जिला के बिदूपुर प्रखण्ड में महिलाओं ने सेनेटेरी नैपकीन 'भारती' को स्थानीय व छोटे बाजारों में ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने में सफलता अर्जित की है और बिहार शिक्षा परियोजना से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर राज्य की अन्य महिलाओं को भी इसके निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है।

- पटना जिला के मनेर प्रखण्ड की महादलित महिलाओं ने मसाला विपणन का व्यवसाय प्रारम्भ किया है। प्रारंभिक स्तर पर इस उद्यम ने स्थानीय बाजार में अच्छी पकड़ और पहचान बनाई है।
- थारु समुदाय से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से समुदाय के बीच 300 समूहों के गठन की प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 66 समूह गठित कर 750 परिवारों को जोड़ा गया है।
- अनुसुचित जाति की महिलाओं के समेकित विकास व सशक्तीकरण के लिए दीप परियोजना के तहत् 2039 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। समूहों से 26,507 परिवारों का जुड़ाव है जिसमें से अधिकाश महादलित समुदाय से संबंधित है।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य पर सघन क्षमता विकास किया गया है। पाथफाइन्डर इंटरनेशनल के सहयोग से निगम ने जहानाबाद, गया और नालन्दा के छः प्रखडों में 353 महिलाओं को सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति के रुप में तैयार किया गया है, जो प्रजनन स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं से अपने गांव की महिलाओं का मार्गदर्शन व सुविधा प्राप्त करने में सहयोग कर रही हैं।

सामाजिक सशक्तीकरण

- पीडित महिलाओं के मनोसामाजिक तथा कानूनी सहयोग के लिए सांस्थानिक सहयोग के निर्माण के उद्देश्य से राज्य सभी जिलों में महिला हेल्पलाईन की स्थापना जिला प्रशासन के नेतृत्व में की गई है। 34 जिलों में महिला हेल्पलाईन जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से कार्यरत् हैं। साथ ही पीड़ित महिलाओं को मनोसामाजिक तथा सुरक्षित आवासन सहयोग के लिए 32 जिलों में अल्पावास गृह संचालित एवं कार्यरत्।

- सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत् बालिका भ्रुण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलु हिंसा, डायन प्रथा और कानूनी साक्षरता के विषयों पर राज्य के सभी 38 जिलों में 35 सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारां द्वारा 94 प्रखंडों में कुल 11564 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, जिससे लगभग 33 लाख लोग लाभान्वित।

- घरेलु हिंसा से महिलाओं की संरक्षा कानून 2005 पर जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 538 प्रखण्डों में लोक सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत और कानून के तहत् घोषित सुरक्षा अधिकारी के क्षमता विकास की योजना। साथ बाल विवाह के खिलाफ वातावरण निर्माण के उद्देश्य से सघन सांस्कृतिक अभियान की योजना।

- सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत् बालिका भ्रुण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलु हिंसा, डायन प्रथा और कानूनी साक्षरता के विषयों विशेष रेडियों कार्यक्रम का प्रसारण।

- सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जनसमुदाय में जागरूकता व जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन का प्रदर्शन।

- सामाजिक पुर्नवास कोष के तहत् सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सामाजिक पुर्नवास कमिटी का गठन और सभी जिलों में 95,10,000.00 रुपये का आवंटन।

- राज्य की मुस्लिम महिलाओं के बीच कानून की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने की योजना।

- बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही महिलाओं पर टेली धारावाहिक के निर्माण प्रारम्भ।

- सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला विषयक कल्याणकारी, विकास और सशक्तीकरण योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'नारी शक्ति यात्रा' के आयोजन की योजना।

सांस्कृतिक सशक्तीकरण

- राज्य के छः जिलों के बीस महिला महाविद्यालयों में दैनिक जागरण समूह के साथ "सपनों को चली छूने" कार्यक्रम के तहत जेन्डर विशेष पर आधारित मेला का आयोजन। किशोरी विकास के विभिन्न आयामों पर विशेष संवेदीकरण व वातावरण निर्माण कार्यक्रम।
- लिंग आधारित राज्य परम्परागत् सांस्कृतिक विधाओं के प्रोत्साहन एवं संवर्द्धन हेतु विशेष सांस्कृतिक सर्वेक्षण। मुस्लिम समुदाय से जुड़े 'बख्खों' समुदाय के क्षमता विकास की योजना।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के साथ राज्य की महिला कलाकारों को 'शुक्र गुलजार' कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन हेतु आमंत्रित कर राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने में सहयोग और आयोजन। राज्य की 48 स्थापित कलाकारों का विभिन्न प्रमण्डलों में प्रदर्शन।
- राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण के विभिन्न प्रयासों को रेखांकित करने के उद्देश्य से 'नारी शक्ति उत्सव' के आयोजन।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

- वर्ष 2008–09 व 2009–10 के लिए प्राप्त कुल 70 करोड़ रूपये यू॰टी॰आई॰ – एम॰ एफ॰ को निर्गत।
- लाभार्थियों से कुल 5.00 लाख आवेदन की प्राप्ति जिसमें 2.25 लाख बॉड लाभार्थियों को निर्गत।
- 14 अक्टूबर 2009 को पटना में वार्षिक उपलब्धि समारोह का आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना के अपुपालन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जिला पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला विकास निगम एवं यू टी आई के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2009 – 2010 की शेष अवधि हेतु अनुमान के आधार पर रु. 50.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है, ताकि सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करते हुए बाण्ड निर्गत किया जा सके।

नवाचारी योजना

- 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' पर छः माह के विशेष अभियान 'हमारी मुनिया' कार्यक्रम की शुरूआत के सात जिलों यथा औरंगाबाद, रोहतास, नालन्दा, समस्तीपुर, वैशाली और पटना में आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर बालिका प्रोत्साहन की अभिनव प्रक्रिया और कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम में लगभग 5000 किशोरियों की भागीदारी। लोक नाट्य और प्रेरक फिल्म प्रदर्शन के द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

- राज्य में अभिनव विकास परक प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति। नवाचारी योजना के तहत् खेल खेल में शिक्षण–प्रशिक्षण के द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य पर सामुदायिक साधनसेवियों का निर्माण एवं क्षमता विकास, उच्च तकनीक के द्वारा उपयुक्त वातावरण तैयार कर अशक्त महिलाओं के लिए आजीविका विकल्प के संसाधनों का विकास, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से आशक्त महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण एवं आय आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विभिन्न प्रयासों को प्रोत्साहन, महिलाओं के स्वामित्व एवं प्रबन्धन वाले पौष्टिक भोजन व्यवसाय को सहयोग, भ्रुण हत्या एवं लिंग चुनाव के विरूद्ध वातावरण निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न हितभागियों का क्षमता विकास। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के बीच साक्षरता ज्ञान को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया तकनीक, सेक्स वर्कर के संवैधानिक अधिकार के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, सामुदायिक साधनसेवी निर्माण प्रक्रिया की कार्यवाही आधारित प्रलेख का प्रकाशन, मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण, राज्य की विलुप्त होती सांस्कृतिक परम्पराओं का दस्तावेजीकरण, बालिकाओं के बीच खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास और विकास कार्यों में हो रहे बदलावों रेखांकित करने की योजनाओं का अनुपालन किया जा रहा है। योजना के तहत् कुल 2 करोड़ रूपये का आवंटन।

राष्ट्रीय कृषि नवान्मेषी परियोजना

- 'विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से नवादा एवं पूर्णिया जिला में परियोजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला कृषकों के क्षमता विकास के माध्यम से उनके परिवारों के बीच आजीविका वृद्धि हेतु मॉडल तैयार करना एवं निरंतर आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराना है। परियोजना के तहत् किसानों को 'श्री विधि' से धान की खेती, बीज उत्पादन तकनीक, पशु नस्ल सुधार, धान–सह–मछली पालन तकनीक, केला रेशा से मूल्यवर्धित उत्पाद निर्माण एवं बाजारोन्नमुखी उत्पादन विषय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- परियोजना के अंर्तगत श्री विधि तकनीक से धान की खेती में 2654 महिला परिवारों को, सत्य आलू बीज से आलू की खेती में 72 परिवारों को, पशु नस्ल सुधार में कृत्रित गर्भाधान के द्वारा 534 महिला परिवारों को, मछली पालन में 3 प्रखण्डों के महिला स्वयं सहायता समूहों को, स्वयं सहायता समूह बीमा के द्वारा 733 सदस्यों को और पशु बीमा के द्वारा 131 महिला परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक व्यवहार परिवर्तत संवाद संप्रेषण परियोजना

- यूनीसेफ के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बीच स्वास्थ्य एवं साफ सफाई के मुद्दे पर व्यवहार परिर्वर्तन के उद्देश्य से वैशाली जिला के 8 प्रखण्डों में 43.42 लाख रुपये की एक योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के तहत् 125 पंचायतों में 225 गांवों की 2400 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 28800 महिलाएं एवं उनके परिवार लाभान्वित होंगे।